

**भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3933
(सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)**

नई कंपनियों के पंजीकरण में वृद्धि

3933. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मई 2025 में नई कंपनियों के पंजीकरण में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सक्रिय कंपनियों की कुल संख्या कितनी है;
- (ग) उपरोक्त नव पंजीकृत कंपनियों के क्षेत्रवार वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या पंजीकरण में यह वृद्धि बेहतर कारोबारी माहौल और कम हुई विनियामक बाधाओं के कारण है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) & (ख): मई 2024 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या 16,085 थी जबकि मई 2025 में 20,718 थी, इस प्रकार, कंपनियों के निगमन में वर्ष दर वर्ष 28.80% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, 30.06.2025 तक 19,05,469 सक्रिय कंपनियां हैं।

(ग): मई 2025 में नई पंजीकृत कंपनियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

(घ) और (ङ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारोबार सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं

i. अनुमत विदेशी क्षेत्राधिकार में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष सूचीबद्धता की अनुमति दी गई है। यह "ब्रांड इंडिया" को बढ़ावा देगा, बढ़ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रति आकर्षण बढ़ाएगा, दक्षता और विकास को प्रोत्साहित करेगा, पूंजी का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करेगा और निवेशक आधार को व्यापक करेगा। कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिता में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 को 24.01.2024 को अधिसूचित किया गया था।

ii. मंत्रालय ने केवाईसी डेटाबेस में अपने निजी मोबाइल संख्या/ईमेल पते को अपडेट करने के अतिरिक्त अवसरों की अनुमति देने के लिए हितधारकों के सुझावों का समाधान करने के लिए 16.07.2024 (01.08.2024 से प्रभावी) को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 में संशोधन किया है।

iii. कारपोरेट डिफॉल्ट मामलों के लिए वास्तविक सुनवाई को समाप्त करने के लिए एक फेसलेस न्यायनिर्णयन तंत्र में परिवर्तन के लिए 05.08.2024 (16.09.2024 से प्रभावी) को कंपनी (दंड अधिनिर्णय) नियम, 2014 में संशोधन किया गया था। इस प्रक्रिया ने निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन वीसी के माध्यम से अधिनिर्णय शुरू करके न्यायनिर्णयन की कार्यवाही में भाग लेना आसान बना दिया है।

iv. कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 में संशोधन किया गया है। इस 09.09.2024 (17.09.2024 से प्रभावी) को संशोधन के अनुसरण में, विदेश में निगमित होल्डिंग कंपनी का भारत में निगमित इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय करने के लिए केन्द्र सरकार (प्रादेशिक निदेशकों को प्रत्यायोजित) का अनुमोदन अपेक्षित होगा। इस संशोधन से पहले, ऐसे विलय के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी की आवश्यकता होती थी।

v. सी-पीएसीई (सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कारपोरेट एग्जिट) (सी-पीएसीई) को कंपनियों के स्वैच्छिक समापन से संबंधित मामलों के केंद्रीकृत और पारदर्शी प्रसंस्करण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242(2) के तहत 01.05.2023 से परिचालन किया गया था। अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 475 (अ) दिनांक 5 अगस्त 2024 के माध्यम से मंत्रालय ने एलएलपी को बंद

करने से संबंधित ई-प्ररूप के प्रसंस्करण के लिए सी-पीएसीई को सशक्त बनाकर सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को बंद करने का केंद्रीकरण किया।

vi.केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत क्षेत्राधिकार आरओसी के साथ पहले फ़ाइल किए गए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ई-प्ररूपों के तेजी से और केंद्रीकृत संचालन के लिए 16.02.2024 से परिचालित किया गया था।

मई 2025 में नई पंजीकृत कंपनियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण		
क्र.सं.	क्षेत्र/आर्थिक कार्यकलाप	कंपनियों की संख्या
1.	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	532
2.	व्यापार सेवाएँ	3,123
3.	सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	5,638
4.	निर्माण	1,390
5.	बिजली, गैस और पानी की कंपनियां	694
6.	वित्त	524
7.	बीमा	4
8.	विनिर्माण (खाद्य सामग्री)	582
9.	विनिर्माण (चमड़ा और उसके उत्पाद)	33
10.	विनिर्माण (मशीनरी और उपकरण)	842
11.	विनिर्माण (धातु और रसायन, और उसके उत्पाद)	939
12.	विनिर्माण (अन्य)	356
13.	विनिर्माण (कागज और कागज उत्पाद, प्रकाशन, मुद्रण और रिकॉर्ड किए गए मीडिया का पुनरुत्पादन)	98
14.	विनिर्माण (वस्त्र)	272
15.	विनिर्माण (लकड़ी उत्पाद)	40
16.	खनन और उत्खनन	91
17.	रियल एस्टेट और रेंटिंग	904
18.	व्यापार	3,451
19.	परिवहन, भंडारण और संचार	1,205
	कुल	20,718